डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 सितम्बर, 2020, डिस्पेच दिनांक 16 सितम्बर, 2020

| वर्ष 64 | अंक 08 | भोपाल | 16 सितम्बर, 2020 | पृष्ठ 12 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

गड़बड़ी करने वालों की जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्यवाही करें

सहकारिता मंत्री डॉ. अरिवन्द भदौरिया ने की वीडियो कॉफ्रेंस से विभागीय कार्यों की समीक्षा

भोपाल। सहकारिता विभाग की गतिविधियों व योजनाओं का मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। सिस्टम में तकनीकी व पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाये। प्रत्येक स्तर पर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो। सहकारी संस्थाओं में यदि गबन व घोटाले प्रकाश में आते है तो उनमें संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाये तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही हो। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने सहकारिता विभाग के मैदानी अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभागीय समीक्षा में यह निर्देश दिये।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में गड़बड़ियां क्षम्य नहीं है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि इन मामलों में जीरो टालरेन्स की नीति अपनाई जाये। उन्होंने कहा कि सिस्टम में अच्छा काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाये और उनका सावर्जनिक सम्मान भी किया जाये। मंत्री डॉ. भदौरिया ने सहकारिता की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया। उन्होंने तकनीकी के इस युग में कम्प्यूटराईजेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिये। डॉ. भदौरिया ने अधिकारियों को टीम भावना के साथ जनहित में संवेदनशीलता के साथ काम करने की सीख दी। उन्होंने विभाग में नवाचार और सहकार की भावना को भी बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता जताई।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने गेहूँ उपार्जन कार्य में विभागीय अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष रिकार्ड 129 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। उन्होंने उपार्जन कार्य के लिए नोडल अधिकारी व संयुक्त आयुक्त श्री बृजेश शुक्ला को सम्मानित भी किया।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने वीडियो कॉफ्रेंस में कहा कि शीघ्र ही उनके द्वारा संभाग व जिलों का दौरा कर विभागीय कार्यों व योजनाओं की समीक्षा के साथ ही का मौका मुआयना भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि सहकारिता सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाये, जिससे कि गड़बड़ी न हो। मंत्री डॉ. भदौरिया ने प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत व मुख्यमंत्री की आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश योजना के तहत सहकारिता के क्षेत्र में वायवल प्रोजेक्ट लेने पर जोर दिया, जिससे कि उनके आर्थिक रूप से सफल होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो।

वीडियो कांफ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत कृषि अधोसंरचना कोष अन्तर्गत प्रस्तावित प्रोजेक्ट, आगामी कार्ययोजना,पी.एम. किसान योजना में पात्र किसानों को जारी के.सी.सी. में ऋण वितरण, पशुपालक कृषकों को कार्यशील पूँजी साख सीमा, खरीफ 2020 में ऋण वितरण, कृषि ऋणों की वसूली, रबी 2020–21 के लिये उर्वरकों का अग्रिम भंडारण, खरीफ 2020 के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत प्रीमियम प्रेषण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिये कि उपार्जन केन्द्रों पर प्लेटफार्म निर्माण के लिये भूमि के चिन्हांकन एवं विभाग को भूमि के ट्रांसफर कराये जाने की प्रक्रिया 15 सितम्बर 2020 तक पूर्ण की जाए।

यह भी कहा कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सम्पर्क कर प्लेटफार्म निर्माण का कार्य भी मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत करवा कर काम शुरू करायें। सोसायटियों के अंकेक्षण की प्रगति, अंकेक्षण शुल्क की वसूली की भी विस्तार से समीक्षा की। सहकारिता न्यायालयीन केस मेनेजमेन्ट सिस्टम के बारे में भी अवगत कराते हुए बताया कि इस नवीन सिस्टम की अभी परीक्षण स्तर पर शुरूआत की जा रही है। सोसायटियों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की जानकारी भी दी गई।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों हेतु अंकेक्षण उन्मुखीकरण पर वेबीनार आधारित प्रशिक्षण आयोजित

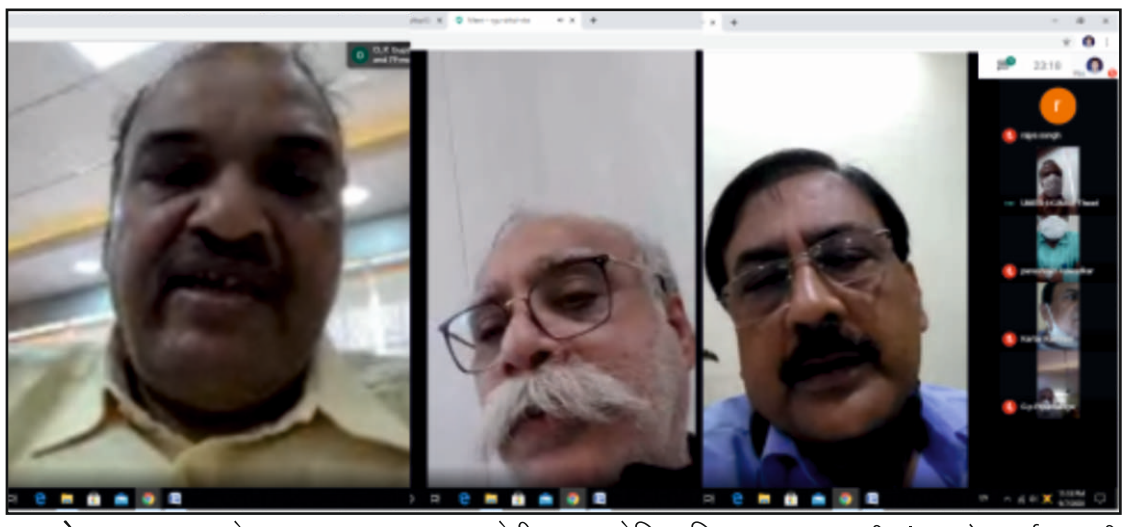

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में दिनांक 07.09.2020 एवं 08.09.2020 को सहकारिता विभाग के अधिकारियों हेतु अंकेक्षण उन्मुखीकरण विषय पर बेबीनार का आयोजन किया गया । प्रत्येक दिन कुल दो बेबीनार इस प्रकार कुल चार बेबीनार आयोजित किए गए। बेबीनार का प्रमुख उददेश्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति एवं विपणन सहकारी समितियों के अंकेक्षण वर्गीकरण की समीक्षा करना था।

बेबीनार का शुभारंभ राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा किया गया । श्री रंजन ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उददेश्य पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात सहकारिता आयुक्त श्री आशीष सक्सेना द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत समितियों को सक्षम बनाने की दिशा में विभाग के द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों पर सभी जिला अधिकारियों से चर्चा की।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सहकारी संस्थाओं के वार्षिक साधारण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक ने दिए निर्देश'

भोपाल। सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सम्मेलन सहकारी अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान अनुसार सहकारी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के भीतर वार्षिक साधारण सम्मेलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रावधान में किसी प्रकार की छूट देने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री आशीष सक्सेना ने समस्त संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उप–सहायक और प्रबंधक संचालक सहकारी संस्थाएं को निर्देश दिए हैं कि सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सम्मेलन आम सभा समय पर आयोजित की जाए। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग, मॉस्क, सैनिटाईजर की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। साथ ही कोविड–19 के संबंध में शासन–प्रशासन स्तर से जारी किये गये मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करते हुये सभा स्थल पर बैठने की व्यवस्थाएं की जाए। सभाएं आयोजित करने के लिए जिला कलेक्टरों से अधिकृत प्राधिकारी से अवश्यक अनुमति प्राप्त कर वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।

(मूल परिपत्र
पृष्ठ 2 पर देखें)

वित्तीय पत्रक प्रकाशन

इस अंक से वित्तीय पत्रकों का प्रकाशन आरंभ किया जा रहा है। इस अंक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. खरगौन के वित्तीय पत्रक प्रकाशित किये जा रहे हैं।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2020—भाद्र 6, शक 1942

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2020

क्र. एफ-5-3-2020-पन्द्रह-एक.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"4. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र.-

(1) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन किसी सोसाइटी के पंजीयन के लिये प्रत्येक आवेदन प्ररूप क में या पोर्टल पर विहित प्ररूप में ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली सोसाइटी के किन्हीं सदस्यों में से कोई सदस्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, तो ऐसी सोसाइटी के संचालक मण्डल का कोई सदस्य, अपनी सोसाइटी के ठहराव द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिये संचालक मंडल द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा और ऐसे ठहराव की एक प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। रजिस्ट्रीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की दशा में समस्त दस्तावेजों का सत्यापन रजिस्ट्रीकरण होने वाली सोसाइटी के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजिटल सत्यापन किया जाएगा।

(3) आवेदन-पत्र रजिस्ट्रार को पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा या हाथ से परिदत्त किया जाएगा या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए समस्त व्यवस्थाए सुनिश्चित करने के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा आदेशित तारीख से आवेदन हाथ से या रजिस्ट्रीकृत डाक से ग्रहण नहीं किए जाएंगे और केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ पोर्टल पर उल्लिखित चेक-लिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना तथा रजिस्ट्रीकरण हेतु यदि कोई रजिस्ट्रीकरण फीस निर्धारित हो तो उसका भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक से ऐसे आवश्यक दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां पृथक् से नहीं मांगी जाएंगी। पोर्टल पर आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड होने पर संदर्भ क्रमांक आवेदक को प्राप्त होगा।"।

2. नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"5. आवेदन प्राप्त होने की प्रक्रिया.-

(1) नियम 4 के उप-नियम 3 के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, रजिस्ट्रार दस्तावेजों एवं उपविधियों के साथ आवेदन में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण करेगा और यदि आवश्यक हो तो आगे जांच के लिए आदेश देगा।

(2) यदि परीक्षण में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो रजिस्ट्रार, आवेदक को अधिकतम 15 दिवस के भीतर सुधार करने हेतु उचित माध्यम से सूचित करेगा।

(3) यदि आवेदक द्वारा विहित समय-सीमा में आवश्यक त्रुटियों का सुधार किया जाता है और उन सुधारों से यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है तथा यदि प्रस्तावित सोसाइटी, अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों का अनुपालन करता है तो वह इस प्रयोजन के लिए रखे गए सोसाइटियों के रजिस्टर में सोसाइटी को पंजीबद्ध (दर्ज) करेगा। प्रत्येक प्रविष्टि रजिस्ट्रार की मोहर एवं हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित की जाएंगी। वह सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन आदेश, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं उसके द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत एवं रजिस्ट्रीकृत उपविधियों की प्रमाणित प्रति भी प्रेषित करेगा।

(4) यदि आवेदक द्वारा अपेक्षित त्रुटि सुधार निर्धारित समय-सीमा में नही किया जाता है अथवा उसके द्वारा किए गए सुधार से रजिस्ट्रार संतुष्ट नही है अथवा रजिस्ट्रार की राय में प्रस्ताव अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल है, तो वह अस्वीकृत करने का आदेश कारण सहित पारित करेगा और आवेदक को उचित माध्यम से सूचित करेगा।

(5) ऑनलाइन आवेदन की दशा में, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन आदेश, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत उपविधियां पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिसे आवेदक के द्वारा स्वयं डाउनलोड किया जा सकेगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन की दशा में, प्रत्येक पत्राचार/ संचार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा।

(7) रजिस्ट्रार के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार 45 दिवस के भीतर करें।"।

3. नियम 66 में, उपनियम (2) में, खण्ड (च) में, उप-खण्ड (दो) में, कॉलन का लोप करने के पश्चात् प्रथम पैराग्राफ के अंत में, निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :

"या सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी (इलेक्ट्रानिक आक्शन) के माध्यम से किया जाएगा।"।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 अगस्त 2020—भाद्र 2, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020

क्र. 9623-151-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ९ सन् २०२०

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०२०

विषय-सूची

धारा :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् १९६१ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

३. धारा ४८-क का संशोधन.

४. धारा ४९ का संशोधन.

५. धारा ५२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ९ सन् २०२०

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०२०

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २४ अगस्त, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०२० है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १७ सन् १९६१ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ से ६ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा ४८-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४८-क में, उपधारा (४) में:—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द ''संसद या विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है या'' का लोप किया जाए.

(दो) खण्ड (ख) का लोप किया जाए.

धारा ४९ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (७-क) में, खण्ड (ख) में, प्रथम परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए, और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में प्रशासक को उसके पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता की आवश्यकता है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति की नियुक्ति कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) उस सोसायटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसायटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता रखते हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.''.

धारा ५२ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उपधारा (५) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(क) सहकारी साख संरचना में, राज्य सरकार की अंश पूंजी के लिए अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार होगी;''.

धारा ५३ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में प्रशासक को उसके पदीय कर्त्तव्यों के निर्वाहन में सहायता की आवश्यकता है, जो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति की नियुक्ति कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) उस सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसायटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता रखते हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.''.

(दो) उपधारा (१२) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में प्रशासक को उसके पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता की आवश्यकता है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति की नियुक्ति कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) उस सोसायटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसायटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता रखते हों;

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि;

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.''.

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश, भोपाल
rcs.legal@mp.gov.in

क्रमांक/विधि/2020/२१९ भोपाल दिनांक :– 02/09/2020

प्रति,

1. संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
2. उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला समस्त मध्यप्रदेश।
3. प्रबंध संचालक, शीर्ष सहकारी संस्थाऐं समस्त मध्यप्रदेश।

विषय :– वर्ष 2020 में सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सम्मिलन आयोजित करने के संबंध में निर्देश।

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सम्मिलन आयोजित करने के संबंध में संभाग/जिला अधिकारियों/संस्थाओं द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

सहकारी अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान अनुसार सहकारी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 06 माह के भीतर वार्षिक साधारण सम्मिलन आयोजित करना वैधानिक अनिवार्यता है। उक्त प्रावधान में किसी प्रकार की छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सभी सहकारी संस्थाओं को वार्षिक सम्मिलन/आमसभा समय पर आयोजित करने की सलाह दी जाये। जिसमें सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, सेनेटाईजर की समूचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। कोविड–19 के संबंध में शासन एवं प्रशासन स्तर से जारी किये गये मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करते हुए ही सभा स्थल पर बैठने की समस्त आवश्यक व्यवस्थायें की जावे।

कोविड–19 के दृष्टिगत आवश्यक होने पर सभा आयोजित करने हेतु कलेक्टर अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सम्मिलन/आमसभा समय पर आयोजित कराई जाये।

(आशीष सक्सेना)
आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक सहकारी संस्थाऐं
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/विधि/2020/२१९ भोपाल दिनांक :– 02/09/2020

प्रतिलिपि :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय सहकारिता मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन।
5. कलेक्टर जिला समस्त।
6. समस्त राजपत्रित अधिकारी मुख्यालय/समस्त शाखाऐं। कृपया शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं संबंधितों को भी सूचित करे।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (समस्त) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक सहकारी संस्थाऐं
मध्यप्रदेश, भोपाल

एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमे डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ।

– स्वामी विवेकानंद

एसएमएस बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के उपाय

एसएमएस बैंकिंग सेवाओं से संबंधित धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें इन माध्यमों के प्रयोग संबंधी सभी निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। हम इसके साथ मोबाइल बैंकिंग एवं एसएमएस बैंकिंग से संबंधित कुछ जिनके उचित अनुपालन से आप इनवसे संबंधित धोखाधड़ी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं:

- अपने मोबाइल में सदैव एंटीवायरस का प्रयोग करें।
- आपके फोन के गुम हो जाने की स्थिति में तत्काल इसकी सूचना पूलिस को दें।
- आपके फोन में ऐसा पासवर्ड सेट करें, जिसका अनुमान कोई और आसानी से न लगा पाए।
- किसी अपरिचित लिंक के माध्यम से बैंकिंग अंतरण निष्पादित न करें।
- सार्वजनिक स्थानों में उपलब्ध वाई–फाई के प्रयोग से बचें।
- किसी अनजान दूरभाष नंबर से प्राप्त फाइलों को न खोलें एवं इसकी सूचना सभी संबंधितों को दें।
- अपने मोबाइल फान को नियमित अंतराल में अद्यतन करें।
- अपने फोन बैंकिंग पासवर्ड को नियमित अंतराल में बदलें।
- अपना फोन नंबर बार–बार न बदलें।
- आपके बैंकिंग से जुड़ी जानकारी एवं आंकड़े फोन में सहेज करके न रखें।
- किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बैंकिंग आंकड़ों यथा एटीएम कार्ड नंबर, पिन आदि की जानकारी फोन में प्रदान न करें।

ई-मेल के माध्यम से बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के उपाय

वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों से की जाने वाली धोखाधड़ियों में ईमेल का प्रयोग सबसे अधिक किया जा रहा है। अवांछनीय तत्वों के द्वारा नकली एवं जारी (फेक) ईमेल आईडी बनाकर किसी व्यक्ति को लिंक भेजा जाता है, जिसे महज क्लिक करने से उस व्यक्ति की सभी निजी जानकारी अवांछनीय तत्वों के पास पहुँच जाती है एवं वे इनके माध्यम से अपने निजी स्वार्थ के लिए इन सूचनाओं का दुरूपयोग करते हैं।

ईमेल के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ियों में बचने के लिए ग्राहकों द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है:

- किसी भी अपरिचित आईडी से प्राप्त ईमेल के अटेंचमेंट को न खोलें।
- ईमेल के माध्यम से कभी भी अपने बैंक खातों एवं पिन/पासवर्ड की जानकारी साझा न करें। बैंक कभी भी अपने ग्राहकों से इनकी जानकारी नहीं मांगता ।
- साइबर कैफे या अन्य सार्वजनिक स्थानरों पर ईमेल आईडी के प्रयोग से परहेज करें।
- किसी भी ईमेल आईडी को खोलने से पहले उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करें।
- पापअप के माध्यम से किसी भी ईमेल को न खोलें।
- प्रामाणिक इंटरनेट माध्यमों से ही अपना ईमेल आईडी लॉगिन करें।
- नियमित अंतराल में अपने ईमेल अपने आईडी के पासवर्ड को बदलें।
- कोशिश करें कि एक ईमेल आईडी को अधिक कम्प्यूटरों अथवा मोबाइल फोनों के माध्यम से लॉगिन न करें।
- अपने कम्प्यूटरों एवं मोबाइल फोनों में हमेशा एंटिवाइरस अपडेट करें।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में द्वितीय ऋण का प्रावधान

सतना। भारत सरकार द्वारा पीएमईजीपी/मुद्रा योजनान्तर्गत स्थापित इकाइयों के उन्नयन एवं दोबारा वित्तीय पोषण के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किये गये है।

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि पूर्व में स्थापित इकाईयां, जो लाभ में हो एवं उनकी ऋण अदायगी नियमित रूप से पूर्ण हो गई हो, उन्हें तकनीकी उन्नयन या विस्तार हेतु विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 100 लाख एवं सेवा में 25 लाख वित्तीय सहायता प्रदाय की जायेगी, जिसमें शासन द्वारा परियोजना लागत का 15 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि पीएमईजीपी ही ऐसी योजना है, जिसमें दोबारा ऋण एवं अनुदान प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

सूदखोरों से बचाकर स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल क्रांति से मदद दिलवाई मध्यप्रदेश ने

मध्यप्रदेश की यह कोशिश, अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय : श्री मोदी

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मध्यप्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए बहुत कम समय में बेहतरीन कार्य कर दिखाया है। पीएम स्वनिधि योजना में हुए इस कार्य से अन्य राज्य प्रेरणा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अवसर पर घोषणा की कि स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण की एक अन्य योजना पर भी विचार किया जा रहा है। जिसकी शुरुआत शीघ्र ही की जाएगी। उन्होंने लघु व्यवासियों से डिजिटल लेन–देन को अपनाकर अपने कारोबार को कई गुना बढ़ाने का आव्हान भी किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश की उपलब्धि और लॉकडाउन के दौरान अच्छा कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान को बधाई दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा की मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना की सफलता श्रम की ताकत का परिचायक है जिसे मैं आदरपूर्वक नमन करता हूँ। मध्यप्रदेश के एक लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ सुनिश्चित कर पहचान–पत्र और अन्य लाभ देने का कार्य प्रशंसनीय है। महामारी के समय गरीबों को इस योजना में मिली यह राहत वरदान सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्चुअल संवाद के बाद योजना में पांच लाख हितग्राही को लाभान्वित करने का लक्ष्य नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिया है।

कागजों के डर से बैंक नहीं जाते थे गरीब, डिजिटल क्रांति से अब सब आसान

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गरीबों के कल्याण के योजनाबद्ध प्रयास जारी रहेंगे। गरीबों को सूदखोरों के चंगुल से निकालकर आर्थिक सहायता पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। पहले कागजों के डर से गरीब बैंक तक नहीं जा पाते थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 94 हजार करोड़ की राशि का अंतरण हो या कोरोना काल में 20 करोड़ बहनों के खाते में 31 हजार करोड़ रुपये जमा करने का कार्य, जरूरतमंदों की पूरी सहायता की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि बैकिंग व्यवस्था से अब गांव भी ऑनलाइन मार्केट से जुड़ जाएंगे। आगामी 1 हजार दिन में आप्टीकल फाइबर के अधिकतम उपयोग को बढ़ाने का कार्य होगा, जो एक तरह की डिजिटल क्रांति होगी। डिजिटल हेल्थ मिशन से हितग्राहियों को हेल्थ आईडी भी मिलेगी। चिकित्सक से एपांइटमेंट और चेकअप का कार्य भी इसी प्रक्रिया से होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वन नेशन–वन राशन कार्ड की व्यवस्था भी लागू की गई है। देश में कहीं भी जाने पर व्यक्ति राशन ले सकेगा, अपने हक के साथ चलेगा। डिजिटल क्रांति की सहायता लेते हुए मध्यप्रदेश की पीएम स्वनिधि योजना में प्राप्त उपलब्धि सराहनीय है। अन्य राज्यों को मध्यप्रदेश का अनुसरण करना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन के पहले पीएम स्वनिधि योजना के मध्यप्रदेश के हितग्राहियों से बातचीत भी की। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केन्द्रीय आवास एवं शहरी कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी, मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, केन्द्र सरकार के सचिव शहरी विकास मंत्रालय श्री दुर्गाशंकर मिश्र, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश श्री इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश के लाभार्थियों से आज चर्चा में उनका आत्मविश्वास दिखाई दिया है। यह योजना की सबसे बड़ी सफलता है। लाभार्थी योजना के साथ आगे बढ़ें, उनका कारोबार विकसित हो, इसके लिए सरकार अधिकतम सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी अनेक विपदाएं लाई हैं। इस संकट को हम सभी ने देखा। गरीबों को अपने गांव लौटना पड़ा। गरीबों की दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान से भी राहत प्रदान की गई। मध्यप्रदेश में भी हर जरूरतमंद तक शिवराज सरकार ने मदद पहुंचाई। एक बड़े वर्ग के रूप में रेहड़ी वाले, लॉकडाउन के समय घरों में बंद लोगों तक सामग्री पहुंचाते रहे। सरकार ने स्वनिधि योजना में इन फूड स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य रेहड़ी वालों को नेटवर्क से जोड़ा। इन्हें मुश्किल से निकालने के लिए आसान प्रक्रिया से पूंजी देने की व्यवस्था की गई। अब इन्हें ऑनलाइन सेवाओं से भी पूरी तरह जोड़ने का प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस संकटकाल में हमारी तकनीक ने योजना को लागू करने में सहायता की। हितग्राही को कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा में जाकर आवेदन देने के बाद ऋण देने की कार्यवाही की जाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि योजना को सरल बनाया गया है। स्वनिधि से स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वावलंबन से स्वाभिमान योजना की विशेषता है। डिजिटल लेनदेन पर हितग्राही को 1200 रुपये का नगद पुरस्कार देने का भी प्रावधान है। कुल 7 प्रतिशत के ब्याज अनुदान के साथ समय पर ऋण चुकाने की स्थिति में हितग्राही को दोगुना –तिगुना भी ऋण अगली बार देने की व्यवस्था की गई है।

रेहड़ी वालों को मूलभूत सुविधाएं देने पर जोर

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि रेहड़ी वालों को विद्युत सुविधा, आयुष्मान योजना का लाभ, उज्जवला योजना, एक रूपया महीना भुगतान करने पर बीमा योजना का लाभ, आवास निर्माण के लिए सहायता के संबंध में योजना लागू की जाएगी। इस योजना को प्रारंभ करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गत छह वर्ष में देश में गरीबों के योजनाबद्ध विकास की दिशा में कार्य हुआ है। सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए संबल बनें, इसके लिए निरंतर कार्य हुआ है।

हितग्राही रखें इन बिन्दुओं का ध्यान

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वनिधि संवाद में स्ट्रीट वेंडर्स से आव्हान किया कि जब तक कोरोना से बचाव का वैक्सीन नहीं आ जाता, अपनी और ग्राहकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। हाथों की सफाई हो, परस्पर दूरी हो, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना है। इन बातों से समझौता नहीं करना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग न किया जाए। कार्य स्थल पर पूरी स्वच्छता हो।

मध्यप्रदेश के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री श्री मोदी का आत्मीय संवाद, स्ट्रीट वेंडर्स की पीठ थपथपाई

स्वनिधि संवाद के प्रारंभ में प्रधानमंत्री श्री मोदी का मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सबसे पहले इन्दौर जिले के सांवेर के पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राही श्री छगन लाल वर्मा से बात की। श्री छगनलाल झाड़ू बेचने का कार्य करते हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री छगनलाल को झाड़ू के निर्माण में लगने वाली सामग्री, प्राप्त हो रहे लाभ के बारे में चर्चा की। हितग्राही श्री छगनलाल ने बताया कि उन्हें झाड़ू बनाने के लिए किसानों से खजूर के पत्ते और झाड़ू निर्माण में आवश्यक लोहे का तार, नायलोन और पाइप आदि बाजार से खरीदना होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री छगनलाल को सुझाव दिया कि वे पुराने झाड़ू के पाइप के अच्छी स्थिति में होने से उसे नए झाड़ू में प्रयुक्त कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री छगनलाल से अन्य योजनाओं से मिल रहे लाभ की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बातचीत के क्रम में ग्वालियर की श्रीमती अर्चना शर्मा से भी बातचीत की।

(पृष्ठ 1 का शेष)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ .....

उन्होंने कहा कि, अंकेक्षण सहकारिता विभाग का महत्वपूर्ण कार्य एवं समितियों के लिए वैधानिक अनिवार्यता है। सभी समितियां सतत एवं नियमित अंकेक्षण आवश्यक रूप से करवाएं।

संयुक्त आयुक्त श्री अरविंद सिंह सेंगर ने अंकेक्षण वर्गीकरण में सुधार, परीक्षण कैसे किया जा सकता है, इस हेतु की जाने योग्य कार्यवाहियां, आने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर करें इन सब बातों पर प्रकाश डाला गया। अंकेक्षण के संबंध में जिला अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान श्री बी.एस.शुक्ला संयुक्त आयुक्त एवं श्री उमेश कुमार तिवारी, उपायुक्त द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन संघ के ओ.एस.डी. श्री संजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समन्वय व्याख्याता श्रीमती रेखा पिप्पल एवं श्री विनोद कुशवाह , सहायक द्वारा किया गया।

बेबीनार के प्रथम दिन दिनांक 7.9.2020 को सर्वप्रथम इंदौर एवं उज्जैन संभाग हेतु बेबीनार आयोजित हुआ। जिसमें जिलों के 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दिनांक 7.9.2020 को ही दोपहर बाद भोपाल एवं जबलपुर संभाग हेतु बेबीनार आयोजित हुआ। जिसमें जिलों के 67 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बेबीनार के द्वितीय दिन दिनांक 8.9.2020 को सर्वप्रथम रीवा, एवं सागर संभाग हेतु बेबीनार आयोजित हुआ। जिसमें जिलों के 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दिनांक 8.9.2020 को ही दोपहर बाद नर्मदापुरम, शहडोल,ग्वालियर,चंबल संभाग हेतु बेबीनार आयोजित हुआ। जिसमें जिलों के 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पंजीयन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल शीघ्र होगा प्रारंभ : मंत्री श्री पटेल

खरीफ फसलों के उपार्जन सम्बन्धी प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति

भोपाल। प्रदेश में सोयाबीन सहित अन्य खरीफ फसलों के उपार्जन सम्बन्धी प्रस्ताव पर कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

मंत्री श्री पटेल ने बताया हैं कि भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीफ फसलों के उपार्जन की तैयारी पूरी कर ली गई है। पंजीयन के लिए विगत वर्ष के सभी पंजीयन केंद्र यथावत रखे जाएंगे, जिससे किसानों को परेशान न होना पड़े। प्रदेश में सोयाबीन, अरहर, उड़द, मक्का के अतिरिक्त 34 ज़िलों में मूंग, 30 जिलों में तिल, 13 जिलों में रामतिल, 20 जिलों में मूंगफली, 9 जिलों में कपास की खरीद की जाना है।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर के लिए 376 करोड़, उड़द के लिए 760 करोड़, मूंग के लिए 24 करोड़ कुल 1160 करोड़ रुपए की राशि उपार्जन के लिए अनुमानित हैं। शेष फसलों के उपार्जन के लिए चौथे पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त होने के बाद अनुमानित राशि का आंकलन हो सकेगा।

श्री पटेल ने कहा है कि ई भाई पंजीयन करा लें ताकि बगैर किसी परेशानी के सुगमतापूर्वक उपज का उपार्जन हो सकें।

ई-उपार्जन - वेब पोर्टल

म. प्र. शासन द्वारा किसानों के लाभ के लिये ई–उर्पाजन योजना बनाई गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंर्तगत आने वाले म. प्र. राज्य आपूर्ति निगम द्वारा वर्ष 2010–11 से यह योजना पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से हर साल रबी व खरीफ फसलों की सरकार समर्थित मुल्यों पर खरीदी की जाती हैं। पोर्टल के माध्यम से किसानो का पंजीयन कर पंजीयन पावती किसानों को दी जाती है। इसके पश्चात किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से खरीदी केन्द्र का नाम, पता, तारीख व समय की सूचना भेजी जाती है। निर्धारित दिनांक को किसान खरीदी केन्द्र पर उपज लेकर जाता है, उपज की जांच व तौल करवाता हैं। फिर कम्प्यूटर से निकली तोल पर्ची को लेकर चला जाता है। सात कार्यालयीन दिवस के भीतर उपज की राशि किसानो के बैंक खाते में आ जाती है। फिर यह अनाज सरकारी वेयर हाउस पहुॅचाया जाता है। वहां से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाकर नागरिकां को उचित मूल्य पर विक्रय कर दिया जाता है। इस योजना से किसानों की उपज बिक्री संबंधी समस्यायें समाप्त हो गई है। पारदर्शिता आई है व समय की बचत हुई हैं। किसान खुशहाल हुआ हैं।

पोर्टल पर जाने के लिये गूगल पर ई उर्पाजन टाईप करने के पश्चात प्राप्त लिंक पर क्लिक करने से मुख्य पृष्ठ आ जाता हैं। रबी या खरीफ किसान पंजीयन आवेदन पर क्लिक करने से किसान पंजीयन आवेदन, किसान पंजीयन आवेदन सर्च, किसान कोड से संबंधित जानकारी ये तीन ऑप्शन आते हैं। किसान पंजीयन आवेदन पर क्लिक करने के पश्चात प्राप्त निर्देशों को पढे। फिर भावान्तर, ई–उर्पाजन या दोनों में से किसी एक को चुनें। फिर समग्र आईडी या आधार नम्बर में से किसी एक की इंट्री करें। केप्चा कोड को एंटर कर पंजीयन पर क्लिक करने से एक फार्म खुल जाता है। इस फार्म में जिला, तहसील, गांव, ग्राम पंचायत, किसान का नाम, पिता/पति का नाम, मोबाईल नम्बर, वर्ग, आधार नम्बर, ईमेल आईडी, बैंक का प्रकार, बैंक का नाम, खाता क्रमांक, शाखा का नाम, भूमि का प्रकार, तहसील, पटवारी हल्का नम्बर, ऋण पुस्तिका क्रमांक, गांव का नाम, फसल का नाम, खसरा नम्बर, हेक्टेयर, सिंचित/असिंचित की इंट्री करना है। जोडे पर क्लिक करके अन्य फसल की इंट्री भी कर सकते हैं। फसल लाने की तारीख डालने के बाद सुरक्षित पर क्लिक करने से फार्म सेव हो जाता है व पावती आ जाती है। जिसका प्रिंट निकालकर किसान को दे दिया जाता हैं। इस प्रिंट को किसान खरीदी केन्द्र पर लेकर आता हैं। प्रक्रिया की मानीटरिंग के लिये स्टेट यूजर, डिस्ट्रीक्ट यूजर व अदर यूजर के लॉगिंग बने हुये हैं। जहॉ से यूजर आईडी व पासवर्ड डालने के पश्चात मानिटरिंग व अन्य कार्य सम्पन्न किया जा सकता है। ई उर्पाजन एप को पोर्टल के माध्यम से मोबाईल में डाउनलोड कर इंस्टाल भी किया जा सकता है।

शिरीष पुरोहित, कम्प्यूटर प्रशिक्षक
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर

गौशालाओं को प्रतिदिन प्रति गौ-वंश 20 रू. की दर से ही मिल रही राशि

आवश्यकता होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जायेगी

भोपाल। मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में गौशालाओं को प्रतिदिन 20 रूपये प्रति गौ–वंश के मान से ही राशि प्रदाय की जा रही है। मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के अन्तर्गत गौशालाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का आदेश यथावत है। अप्रैल 2020 में प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं के गौवंश के चारे–भूसे के लिये 29 करोड़ 85 लाख रूपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 28 करोड़ रूपये की राशि और जारी की जा रही है। गौशालाओं के गौवंश के चारा–भूसा अनुदान के लिये सरकार द्वारा किये गये बजट प्रावधान के अतिरिक्त भी यदि राशि की आवश्यकता होती है तो शासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी।

उपसंचालक राज्य गौपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड ने बताया कि मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत नवीन 1000 गौशालाओं के लिये 2 माह का चारा–भूसा अनुदान राशि 11 करोड़ 68 लाख रूपये कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समितियों को पहले ही प्रदाय कर दी गई थी ताकि जिला प्रशासन को गौशाला संचालन प्रारंभ करवाने में कठिनाई न हो। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से 700 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष गौशालाएँ आगामी 2 माह में पूर्ण हो जाएंगी। उक्त 700 गौशालाओं में से 260 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो चुका है, जिनमें लगभग 20 हजार गौवंश का व्यवस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त 627 गौशालाएँ पहले से ही बोर्ड में पंजीकृत हैं जिनमें एक लाख 66 हजार गौवंश का पालन किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 887 गौशालाएँ प्रदेश में संचालित हैं, जिनमें एक लाख 86 हजार गौवंश के लिये प्रतिदिन प्रति–गौवंश 20 रूपये की दर से राशि प्रदाय की जा रही है।

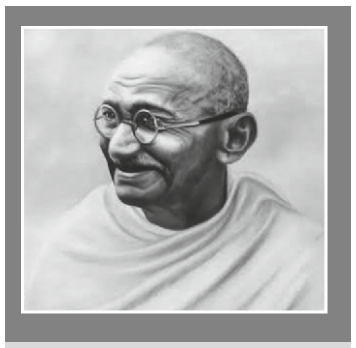

विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अँधा हो जाता है तो मर जाता हैं।
– महात्मा गांधी

अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के विकास पर इस वर्ष खर्च होंगे 80 करोड़

भोपाल। प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास के लिये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा योजना संचालित की जा रही है। इस वर्ष चयनित बस्तियों के विकास पर विभाग द्वारा 80 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

पिछले वर्ष इस योजना में 755 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। इनमें से 522 कार्य पूरा कर विभाग द्वारा करीब 51 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। विभाग द्वारा अधोसंरचनात्मक विकास की योजना में संशोधन किया गया है। अनुसूचित जाति बस्तियों से आशय ऐसी बस्तियों से है जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। ऐसी बस्तियों में विभाग द्वारा इस योजना में सीसी रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, हैण्डपम्प खनन, अनुसूचित जाति छात्रावासों से मुख्य सड़क तक पहुँच मार्ग का निर्माण कराये जाने का प्रावधान है। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग की ऐसी बस्तियों में विद्युत लाईन के विस्तार का कार्य भी प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। जहाँ कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली नहीं है।

किसानों के सिंचाई स्त्रोत तक विद्युत लाईन का विस्तार

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे लघु एवं सीमांत किसानों के खेतों में विद्युत लाईन का पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष इस योजना पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर चयनित किसानों को लाभांवित किया जायेगा। विभाग द्वारा पिछले वर्ष योजना में 302 कार्य पूरे किये गये और इस पर विभाग द्वारा करीब 17 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सूनिश्चित करें : मंत्री श्री कंषाना

भोपाल। प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में वर्षाकाल में पेयजल की सुचारू व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। ग्रामीणों को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति की सुनिश्चित हो। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना ने यह निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।

पी.एच.ई. मंत्री श्री कंषाना ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी पेयजल स्त्रोतों को जीवाणु रहित किए जाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नल–जल प्रदाय योजना बंद होने पर उसे तुरंत चालू करवाया जा रहा है। मंत्री श्री कंषाना के निर्देश पर प्रमुख सचिव श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये पेयजल आपूर्ति की समीक्षा भी की गई है।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष

राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष, प्रमुख अभियंता, कार्यालय जल भवन, बाणगंगा भोपाल में स्थापित किया गया है। बाढ़ से संबंधित क्षेत्रों में पेयजल की समस्याओं के निराकरण के लिए नियंत्रण कक्ष का दूरभाष–0755–2779417 पर संपर्क किया जा सकेगा।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने की 31.62 लाख की राहत राशि वितरित

भोपाल। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को दतिया कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अंतर्गत 31.62 लाख रूपये की राहत राशि ऑनलाइन हितग्राहियों के खाते में पहुंचाई।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह राशि पूर्व में ही हितग्राहियों को मिल जानी चाहिए थी किन्तु अभी तक नहीं पहुंची थी। सरकार ने तत्काल कार्यवाही कर हितग्राहियों के खाते में योजनाबद्धरूप से पहुंचाया है। सरकार अपराध नियंत्रण के लिए कृत–संकल्पित है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। निर्दोष अनावश्यक रूप से प्रताड़ित न हो। सभी को न्याय मिले। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक हितग्राही को समय पर शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन

स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2020 अंत पर

बैंकिग रेग्युलेशन एक्ट 1949 परिशिष्ठ तीन (धारा 29) प्रारूप अ

रकम 31.03.19 अंत पर	अ.क.	पूंजी एवं देनदारियॉ	रकम	रकम 31.03.2020 अंत पर
1	2	3	4	5
	1	अंशपुंजी		
3,00,00,00,000.00	**(अ)**	**अधिकृत पूंजी**	**3,00,00,00,000.00**	**3,00,00,00,000.00**
	1	अ वर्ग रूपये 1000/– प्रति अंश		
	2	ब वर्ग रूपये 1000/– प्रति अंश		
	3	स वर्ग रूपये 100/– प्रति अंश		
	4	द वर्ग रूपये 100/– प्रति अंश		
	(ब)	**अभिदत्त अंशपूंजी**		
1,91,20,16,110.00	1	अ वर्ग 1916261 रूपये 1000/– प्रति अंश	1,91,62,61,110.00	
58,44,84,850.00	2	ब वर्ग 583664रूपये 1000/– प्रति अंश	58,36,64,450.00	
0.00	3	स वर्ग प्रति अंश	0.00	
4,82,335.00	4	द वर्ग 4890 रूपये 100/– प्रति अंश	4,89,035.00	
2,49,69,83,295.00				
	(स)	**उक्त मे से धारित**		
1,91,20,16,110.00	1	अ सहकारी समितियों द्वारा	1,91,62,61,110.00	
58,44,84,850.00	2	ब शासन द्वारा	58,36,64,450.00	
4,82,335.00	3	स व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा नामीनल	4,89,035.00	
2,49,69,83,295.00		**योग**	2,50,04,14,595.00	**2,50,04,14,595.00**
	2	**रक्षित एवं अन्य निधियॉ**		
34,18,76,696.63	1	रक्षित निधि	38,20,05,260.63	
20,90,24,247.82	2	कृषि साख स्थाईकरण निधि	23,31,01,386.82	
3,63,07,719.17	3	भवन निधि	3,63,07,719.17	
2,75,47,471.66	4	लाभाषं समानीकरण निधि	2,75,47,471.66	
90,62,11,001.72	5	एन.पी.ए. ऋण निधि	90,62,11,001.72	
44,69,43,336.00	6	एन.पी.ए. ब्याज निधि	44,69,43,336.00	
1,02,61,279.26	7	वाहन निधि	1,02,61,279.26	
1,139.00	8	धर्मादा निधि	1,139.00	
3,04,15,470.45	9	रिस्क फण्ड	3,04,15,470.45	
2,34,41,527.00	10	प्रतिभूतियों पर अवशेष निधि	2,34,41,527.00	
6,03,83,100.00	11	साज सज्जा	6,03,83,100.00	
1,09,09,004.00	12	विशेष संदिग्ध एवं डूबंत ऋण कोष	1,09,09,004.00	
2,00,000.00	13	भूतपूर्व कर्मचारी दायित्व भुगतान निधि	2,00,000.00	
4,14,60,753.44	14	विकास निधि	4,14,60,753.44	
30,10,72,925.19	15	ऋणांतर निधि	30,10,72,925.19	
85,26,620.50	16	अमानत ग्यारंटी बीमा	1,00,41,859.50	
5,85,45,943.70	17	शासकीय अंशपूंजी पर ऋण मोचन निधि	5,85,45,943.70	
9,60,57,712.50	18	कम्प्युटर निधि	9,60,57,712.50	
23,65,00,000.00	19	मानक अस्तियों पर प्रावधान	23,65,00,000.00	
2,71,89,000.00	20	असमायोजित प्रविष्टीयों पर प्रावधान	2,71,89,000.00	
1,94,85,171.63	21	गबन धोखाधडी पर प्रावधान	1,94,85,171.63	
6,33,21,246.00	22	अन्य संपत्ति का प्रावधान	6,33,21,246.00	
1,40,83,213.00	23	बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण कोष	1,57,54,034.00	
80,60,000.00	24	स्टाक कवरेज शार्टफाल क. प्रावधान	80,60,000.00	
2,23,562.40	25	वार्षिक सा. सभा कोष	1,475.40	
75,86,578.41	26	बुक बेलेंसिंग पर प्रावघान	75,86,578.41	
67,26,199.00	27	एकमुश्त समझौता प्रावधान	60,54,220.00	
10,00,000.00	28	अध्यक्षीय राहत कोष	10,00,000.00	
1,71,90,240.00	29	अनुदान रिर्जव फण्ड	1,50,41,460.00	
91,80,222.00	30	सहकारी विकास निधि	1,39,95,650.00	
3,01,97,31,380.48		**योग**	**3,08,88,95,725.48**	**3,08,88,95,725.48**
	3	**राज्य भागीदारी की पुजी से विनियोग**		
0.00	1	केन्द्रीय सहकारी बैंक	0.00	
0.00	2	प्राथमिक सहकारी समितियों	0.00	

रकम 31 मार्च 2019 अंत पर	अ.क.	सम्पत्तियॉ एवं आस्तियॉ	रकम	रकम 31 मार्च 2020 अंत पर
1	2	3	4	5
	1	रोकड		
21,38,41,786.62	1	शाखाओं में नगद राशि	26,24,17,293.16	
2,01,85,523.74	2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3,87,99,270.19	
53,71,48,581.08	3	म.प्र.राज्य सहकारी बैंक	7,82,12,819.98	
19,61,404.98	4	बैंक ऑफ इंडिया	17,66,712.18	
5,55,92,347.57	5	पंजाब नेशनल बैंक	43,76,291.52	
5,32,06,222.32	6	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	16,47,76,412.40	
7,025.35	7	बैंक आफ महाराष्ट्र	0.00	
1,81,97,825.02	8	आई.डी.बी.आई. बैंक	6,84,41,101.42	
5,86,490.09	9	यूनियन बैक	5,13,603.62	
36,761.10	10	मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक	62,146.83	
70,96,631.00	11	बैंक ऑफ बडौदा	8,54,463.17	
4,58,849.04	12	एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड	26,172.32	
8,85,59,148.54	13	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	1,84,87,038.41	
52,35,333.58	14	एक्सिस बैंक	26,30,557.96	
2,00,50,000.00	15	आई डी एफ सी बैंक	70,000.00	
1,02,21,63,930.03		**योग**	**64,14,33,883.16**	**64,14,33,883.16**
	2	**अन्य अधिकोष में**		
0.00	1	चालू अधिकोष में	0.00	
0.00	2	सेविंग खाते (पोस्ट आफिस)	0.00	
0.00		**योग**	**0.00**	**0.00**
	3	कॉल डिपाजिट		
0.00	1	अपैक्स बैंक	0.00	
0.00		**योग**	**0.00**	**0.00**
	4	**विनियोजन**		
	अ/	**सिक्युरिटी**		
0.00	1	इंदिरा विकास पत्र (पुस्तक कीमत बाजार)	0.00	
0.00	2	शासकीय प्रति भूति(पुस्तक कीमत बाजार)	0.00	
0.00	3	भूमि विकास बैंक ऋण पत्रक (पुस्तक कीमत बाजार)	0.00	
	ब/	**अन्य संस्थाओं के अंश**		
69,18,99,900.00	1	म.प्र. राज्य सहकारी बैंक भोपाल	69,18,99,900.00	
11,50,000.00	2	जवाहरलाल नेहरू सूतमिल खरगोन	11,50,000.00	
9,45,000.00	3	इंडियन फामर्स फर्टि.को.ऑप. दिल्ली	9,45,000.00	
1,00,000.00	4	नर्मदातेल प्रक्रिया	1,00,000.00	
5,00,000.00	5	कृषक भारतीय को.आप. दिल्ली	5,00,000.00	
10,000.00	6	म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक के अंश	10,000.00	
69,46,04,900.00		**योग**	**69,46,04,900.00**	**69,46,04,900.00**
	स/	**अन्य विनियोजन**		
2,45,35,05,886.00	1	शीर्ष बैंक में मुदृदती अमानत	5,37,99,53,401.00	
87,32,24,166.21	2	अन्य व्यवसायिक बैंकों में	0.00	
5,71,07,310.00	3	शीर्ष बैंक में रक्षित निधि	6,11,04,822.00	
2,00,00,000.00	4	यु.टी.आई म्यूचूअल फण्ड	1,99,26,575.05	
1,00,00,000.00	5	आदित्य बिरला मैचअुल फण्ड	0.00	
2,53,48,05,000.00	6	शासन प्रतिभुति	2,78,26,20,000.00	
5,94,86,42,362.21		**योग**	**8,24,36,04,798.05**	**8,24,36,04,798.05**
6,64,32,47,262.21		**महायोग**	**8,93,82,09,698.05**	**8,93,82,09,698.05**
	5	**राज्य भागीदारी की मूल सहा.पंजी विनियोजन**		
0.00	1	अंशपूंजी केन्द्रीय सहकारी अधिकोष	0.00	

रकम 31.03.19 अंत पर	अ.क.	पूंजी एवं देनदारियॉ	रकम	रकम 31.03.2020 अंत पर
0.00	3	अन्य सहकारी समितियों	0.00	
0.00		**योग**	**0.00**	**0.00**
	4	**अमानतें**		
	अ/	**मियादी अमानतें**		
6,26,11,98,409.55	1	व्यक्तिगत	7,06,30,63,235.52	
98,35,46,629.04	2	सहकारी समितियॉ	1,11,68,81,720.25	
1,09,54,23,641.96	3	अन्य समितियॉ सभाऐं	1,29,17,82,163.63	
8,34,01,68,680.55		**योग**	**9,47,17,27,119.40**	**9,47,17,27,119.40**
	ब/	**सेविंग अमानतें (बचत)**		
3,84,98,54,778.31	1	व्यक्तिगत	3,87,21,23,510.36	
28,92,08,016.20	2	सहकारी समितियॉ	27,27,76,232.39	
59,84,41,571.29	3	अन्य समितियॉ सभाऐं	53,81,67,330.75	
4,73,75,04,365.80		**योग**	**4,68,30,67,073.50**	**4,68,30,67,073.50**
	स/	**चालू खातें में**		
2,72,32,052.41	1	व्यक्तिगत	3,73,37,588.65	
28,65,242.47	2	सहकारी समितियॉ	21,07,161.47	
8,02,68,185.45	3	अन्य समितियॉ संस्थाऐं	7,74,80,553.96	
11,03,65,480.33		**योग**	**11,69,25,304.08**	**11,69,25,304.08**
0.00	**द/**	**आहुत एवं अन्य (कॉल डिपाजिट)**	**0.00**	
0.00	**ई/**	**नान आपरेटिव्ह (डेड अकाउन्ट)**	**0.00**	
0.00	**उ/**	**अन्य अमानत सभा**	**0.00**	**0.00**
13,18,80,38,526.68		**योग**	**14,27,17,19,496.98**	**14,27,17,19,496.98**
	5	**ऋण बारोइंग नाबार्ड (अपेक्स बेंक)**		
	अ/	**अल्पकालीन ऋण जो प्रतिभूत है**		
0.00	**1**	शासकीय प्रतिभूतियों पर	**0.00**	
12,23,50,00,211.25	**2**	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	14,35,09,00,000.00	
0.00	**3**	म.प्र.राज्य सह0बैंक भोपाल अधिविकर्ष	0.00	
	ब/	**मध्यकालीन ऋण जो प्रतिभूत हैं**		
0.00	1	शासकीय प्रतिभुतियों पर	0.00	
13,92,65,623.00	2	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	14,68,73,660.00	
	स/	**लम्बी अवधि का ऋण**		
0.00	**1**	शासकीय प्रतिभुतियों पर	0.00	
3,68,37,300.00	**2**	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	36,13,600.00	
	द/	**राज्य शासन से**		
0.00	**1**	अल्पकालीन ऋण	**0.00**	
0.00	**2**	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	**0.00**	
12,41,11,03,134.25		**योग**	**14,50,13,87,260.00**	**14,50,13,87,260.00**
0.00	**6**	**वसूली योग्य बिल्स (बिल्स कलेक्शन)**	0.00	
		योग	**0.00**	**0.00**
3,00,26,015.28	**7**	**शाखाओं का जमा खर्च (तहवील)**	2,24,02,619.30	
3,00,26,015.28		**योग**	**2,24,02,619.30**	**2,24,02,619.30**
	8	**ब्याज देना**		
1,58,82,387.38	1	अमानतों पर	1,46,01,353.71	
1,58,82,387.38		**योग**	**1,46,01,353.71**	**1,46,01,353.71**
	9	**ब्याज देना**		
1,14,99,400.00	1	एनपीए नाट कलेक्ट	1,00,72,072.92	
1,14,99,400.00		**योग**	**1,00,72,072.92**	**1,00,72,072.92**
	10	**अन्य देनदारियॉ**		
0.00	1	देने योग्य बिल्स	1,04,702.00	
0.00		**योग**	**1,04,702.00**	**1,04,702.00**
	11	**फुटकर देनदारियॉ**		
79,85,430.27	1	ड्राफ्ट पेयबल	87,11,906.28	
79,85,430.27		**योग**	**87,11,906.28**	**87,11,906.28**
	12	**अन्य देना**		
2,56,601.55	1	प्रिमीयम कलेक्शन	2,77,132.55	
0.00	2	फर्टिलायजर सेल्स कलेक्शन अक. उन्ट	0.00	
17,53,651.00	3	आडिट फीस पेयबल	17,86,489.00	
6,12,552.12	4	कर्म. समूह बीमा योजना	8,62,628.12	
81,92,265.48	5	कर्मचारी उपादान गेच्युटी	1,09,40,303.48	
32,77,164.90	6	कर्मचारी कल्याण निधि	43,95,958.90	
65,02,224.00	7	प्रा0फण्ड बैंक विभाग	57,73,168.00	

रकम 31 मार्च 2019 अंत पर	अ.क.	सम्पत्तियॉ एवं आस्तियॉ	रकम	रकम 31 मार्च 2020 अंत पर
0.00	2	अंशपूंजी प्राथमिक सहकारी समितियॉ	0.00	
0.00	3	अंशपूंजी अन्य सहकारी समितियॉ	0.00	
0.00		**योग**	**0.00**	**0.00**
	6	**ऋण एवं अग्रिम सह0समितियों व व्यक्तिगत**		
	अ/	**नगद साख अधिविकर्ष तथा बिलों से प्रतिभूत**		
1,79,61,49,814.34	1	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	78,16,19,100.71	
	2	इनमें से कालातीत		
		संदिग्ध		
		डुबन्त		
	ब/	**अल्पकालीन ऋण**		
0.00	1	शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतियों पर		
20,95,03,51,748.29	2	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	21,68,75,45,876.47	
		इनमें से कालातीत		
		संदिग्ध		
		डुबन्त		
	स/	**मध्यकालीन ऋण**		
0.00	1	शासकीय प्रतिभूतियों पर	0.00	
60,90,63,792.63	2	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर(म. का.कृषि ऋण)	50,33,36,230.14	
		इनमें से कालातीत		
		संदिग्ध		
		डुबन्त		
	द/	**लम्बी अवधि का ऋण जो प्रतिभूत है**		
0.00	1	शासकीय प्रतिभूतियों पर	0.00	
13,13,53,644.75	2	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर (एल.टी.ओ.)	11,52,17,187.99	
		इनमें से कालातीत		
		संदिग्ध		
		डुबन्त		
	इ/	**समापन की संस्थाओं पर ऋण**		
3,73,81,391.42	1	इनमें से कालातीत	3,73,75,740.42	
23,52,43,00,391.43		**योग –**	**23,12,50,94,135.73**	**23,12,50,94,135.73**
	7	**प्राप्ति योग्य ब्याज**		
8,99,33,404.00	1	प्रतिभूतियों व अमानतों पर	9,80,84,687.33	
0.00	2	कृषि ऋणों पर	2,922.00	
1,552.00	3	अकृषि ऋणों पर	2,804.00	
8,99,34,956.00		**योग –**	**9,80,90,413.33**	**9,80,90,413.33**
	8	**वसूली योग्य बिल्स**		
0.00	1	बिल्स रिसीव्हेबल	0.00	
0.00		**योग –**	**0.00**	**0.00**
	9	**शाखा समायोजन**		
0.00	1	तहवील (शाखा समायोजन)	0.00	
	10	**भवन एवं भूमि**		
3,13,99,067.64	1	बिल्डिग्सं	2,84,76,969.64	
	11	**साज सज्जा**		
4,66,18,134.27	1	फर्नीचर फिक्सर्स	4,28,97,605.87	
	12	**वाहन**		
26,75,129.10	1	जीप,कार मोबाईल वैन	22,73,859.10	
	13	**मशीनरी**		
23,05,327.09	1	कम्प्यूटर्स सम्पत्ति	18,43,118.91	
29,75,663.16	2	कम्प्यूटर माईक्रोसाफ्ट लाईसेंस	17,80,441.16	
9,801.00	3	कम्प्यूटर लेब	5,881.00	
8,59,83,122.26		**योग –**	**7,72,77,875.68**	**7,72,77,875.68**
	14	**अन्य सम्पत्तियॉ**		
1,71,676.08	1	त्यौहार एवं प्रवास अग्रिम	3,39,250.08	

रकम 31.03.19 अंत पर	अ.क.	पूंजी एवं देनदारियॉ	रकम	रकम 31.03.2020 अंत पर
1,51,20,469.46	8	अन्य देना	11,23,82,639.52	
2,59,151.00	9	लाभांश पेयबल	2,96,231.00	
61,49,561.00	10	टीडीएस टेक्स पेयबल	85,59,459.04	
8,06,770.00	11	अनुदान	25,96,870.00	
3,77,037.38	12	समर्थन मूल्य शाखा	4,71,096.84	
1,65,610.34	13	पी.डी.एस. केश केडिट शाखा	2,381.73	
3,030.16	14	बीज केडिट बैलेंस शाखा	3,804.96	
46,056.21	15	फर्टिलाइजर शाखा	9,103.07	
2,28,05,067.96	16	अन्य केडिट बैलेंस शाखा	31,91,695.82	
0.00	17	म.प्र. राज्य सह. बैंक मुख्यालय	14,13,709.40	
2,00,000.00	18	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	2,00,000.00	
8,50,00,000.00	19	आयकर पेयबल	5,54,25,840.00	
52,000.00	20	प्रधानमंत्री बीमा योजना	2,304.00	
58,371.00	21	प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना	31,293.00	
0.00	22	डीएमआर रिकवरी	0.00	
30,30,956.25	23	स्टील खाता एमएएस	28,45,087.15	
14,68,837.70	24	एटीएम किलरिंग	0.00	
66,42,193.92	25	सेलरी अनपोस्टेड	0.00	
76,400.00	26	मेडीक्लेम पालिसी	0.00	
15,66,990.60	27	नेफ्ट आउट वर्ड मेसेज राशि	1,41,940.56	
0.00	28	सेलरी संस्पेंस	2,19,042.00	
0.00	29	डी एम आर खाता ऑफशीट	12,189.41	
0.00	30	डी एम आर खाता रिलनशीप	4,91,496.72	
0.00	31	बेलेंसिंग खाता	3,000.00	
0.00	32	ट्रासफर बैच	30.00	
0.00	33	जी एस टी पेयबल	30,295.50	
16,44,22,962.03		**योग**	**21,23,65,189.77**	**21,23,65,189.77**
	12	**लाभ हानि :**		
27,03,94,217.23	1	गत वर्ष स्थिति विवरण पत्रक का संचित लाभ	30,51,37,127.09	
1,51,14,825.00	2	अंकेक्षण वर्ष में जोडा	0.00	
14,08,86,173.00	3	अंकेक्षण वर्ष में लाभ विभाजन (–)	15,48,50,468.00	
16,05,14,257.86	4	जोडा इस वर्ष का लाभ	7,63,46,863.76	
30,51,37,127.09		**योग**	**22,66,33,522.85**	**22,66,33,522.85**
31,65,08,09,658.46		**महायोग**	**34,85,73,08,444.29**	**34,85,73,08,444.29**

रकम 31 मार्च 2019 अंत पर	अ.क.	सम्पत्तियॉ एवं आस्तियॉ	रकम	रकम 31 मार्च 2020 अंत पर
1,60,673.31	2	सिक्युरिटी डिपा (बिजली, टेलीफोन,आदि)	1,61,072.31	
1,58,500.00	3	अनाज अग्रिम (कर्मचारीयों से)	97,000.00	
33,62,758.00	4	स्टेशनरी प्रिटिंग बैंक विभाग(स्टॉक)	38,34,378.59	
29,11,977.35	5	स्टेशनरी प्रिटिंग समिति विभाग(स्टॉक)	28,24,868.98	
1,63,09,115.91	6	अन्य लेना संस्थाओं से	1,68,70,03,126.98	
57,32,581.00	7	अन्य लेना	4,30,12,697.91	
5,12,17,624.00	8	राज्य एवं केन्द्र शासन ब्याज लेना	5,12,17,624.00	
57,71,750.00	9	प्रीमियम विनियोजन	49,35,500.00	
18,12,379.00	10	वित्तीय साक्षरता प्रोजेक्ट	18,12,379.00	
35,14,543.00	11	सेनवेट क्लेम	0.00	
8,50,00,000.00	12	आयकर अग्रीम	9,50,00,000.00	
12,40,036.55	13	युआईडी केडिट	97,205.91	
0.00	14	सेलरी अन पोस्टेड	23,05,524.82	
0.00	15	मेडीक्लेम पालिसी	61,456.00	
1,33,420.88	16	एलपीजी डीबीटीएल	87,69,230.30	
33,80,939.47	17	डीएमआर खाता	0.00	
8,67,58,930.45	18	शासन खाद 10 प्रतिशत संस्था	5,78,87,784.98	
21,60,046.46	19	डीएमआर रिकवरी	1,39,861.69	
12,18,682.00	20	आई जीएसटी आईटीसी	31,81,008.00	
18,91,821.00	21	सी जीएसटी आईटीसी	32,19,922.00	
21,83,149.00	22	एस जीएसटी आईटीसी	35,11,250.00	
71,84,019.09	23	जीएसटी रिसीबल	71,34,268.09	
1,91,500.00	24	अन्य बैंक के ग्राहक एटीएम	2,41,627.40	
27,13,873.98	25	बेलेसिंग खाता	0.00	
0.00	26	ए. टी. एम मोबाईल वैन	2,07,700.00	
0.00	27	ए टी. एम. किलरिंग खाता	1,52,934.30	
0.00	28	प्रधानमंत्री बीमा योजना	54,767.00	
28,51,79,996.53		**योग**	**1,97,72,02,438.34**	**1,97,72,02,438.34**
31,65,08,09,658.46		**महायोग**	**34,85,73,08,444.29**	**34,85,73,08,444.29**

सही/–
(राजेन्द्र आचार्य)
प्रबंधक (लेखा)
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(ए.के.जैन)
प्रबंध संचालक
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

जांचा एवं अग्रेषित
सही/–
उप पंजीयक
सहकारिता, जिला खरगौन

सही/–
(मुकेश जैन)
प्रशासक/उपायुक्त
जिला सह.केंद्रीय बैंक मर्या.
खरगोन

लक्ष्मी तृप्ती एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
सही/–
सुनील गोयल
(पाटर्नर)
मे.नं. 500294, फर्म. नं. 009189C

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन
नफा – नुकसान व्यय पत्रक वर्ष 2019–2020

31 मार्च 2019	क्र.		व्यय के मद	राशि	31 मार्च 2020
	1		**ब्याज दिया**		
74,76,92,329.95		1	अमानतो पर ब्याज दिया	86,82,15,866.03	
91,14,25,733.85		2	उधारग्रहण पर ब्याज	84,85,89,927.00	
11,61,50,717.00		3	केंद्र शासन ब्याज	26,56,14,823.00	
1,77,52,68,780.80			**योग**	**1,98,24,20,616.03**	**1,98,24,20,616.03**
	2		**प्रशासनिक व्यय**		
34,43,00,883.50		1	वेतन, उपवेतन, भविष्य निधि	35,07,86,990.23	
0.00		2	बोनस/एक्सग्रेसिया	1,10,122.00	
1,15,094.00		3	संचालक मंडल भत्ता	39,923.00	
34,44,15,977.50			**योग**	**35,09,37,035.23**	**35,09,37,035.23**
	3		**कार्यालयीन व्यय**		
64,430.54		1	दूरलेख तथा डाक व्यय	89,030.00	
5,43,439.92		2	टेलीफोन व्यय	6,50,589.00	
40,67,888.00		3	शाखा भवन किराया	47,61,425.00	
20,39,881.46		4	विज्ञापन प्रचार–प्रसार	7,77,789.88	
33,55,624.28		5	सत्कार व्यय	31,20,770.81	
26,24,441.15		6	प्रिटिंग बाईडिंग एवं स्टेशनरी	29,97,958.35	
1,04,538.52		7	गणवेश	180.00	
2,21,748.60		8	वाहन रिपेयर्स	1,78,596.36	
20,09,645.04		9	डीजल पेट्रोल	13,88,025.75	
36,23,830.51		10	रेन्ट एण्ड टैक्सेस एवं बिजली खर्च	35,66,570.76	

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन
नफा – नुकसान व्यय पत्रक वर्ष 2019–2020

31 मार्च 2019	क्र.		आय के मद	राशि	31 मार्च 2020
	1		ब्याज प्राप्त		
2,18,76,65,317.58		1	ऋणो पर ब्याज प्राप्त	2,11,07,25,144.91	
45,96,44,148.68		2	विनियोजन पर ब्याज प्राप्त	48,41,26,244.31	
3,14,14,500.00		3	अंशों पर लाभांश प्राप्त	72,08,000.00	
2,67,87,23,966.26			योग	2,60,20,59,389.22	2,60,20,59,389.22
	2		अन्य प्राप्तियॉ		
27,21,509.61		1	कमीशन	27,78,527.46	
71,95,093.96		2	फसल बीमा एवं रासायनिक खाद से प्राप्त कमीशन	1,15,09,953.72	
21,86,848.10		3	इंसीडेन्टल चार्जेस	16,05,321.17	
6,690.00		4	प्रवेश शुल्क	3,890.00	
68,54,363.00		5	अन्य आय	59,80,971.00	
1,89,64,504.67			**योग**	**2,18,78,663.35**	**2,18,78,663.35**
2,6,976,88,470.93			**महायोग**	**2,62,39,38,052.57**	**2,62,39,38,052.57**

सही/–
(राजेन्द्र आचार्य)
प्रबंधक (लेखा)
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(ए.के.जैन)
प्रबंध संचालक
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(मुकेश जैन)
प्रशासक/उपायुक्त
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

लक्ष्मी तृप्ती एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
सही/–
सुनील गोयल
(पाटर्नर)
मे.नं. 500294, फर्म. नं. 009189C

31 मार्च 2019	क्र.		व्यय के मद	राशि	31 मार्च 2020
18,25,660.00		11	आयकर	2,44,81,972.00	
1,47,14,060.59		12	बीमा	1,62,24,899.91	
9,47,139.00		13	विधि व्यय	7,17,626.00	
1,81,386.00		14	पत्र पत्रिका	2,13,573.00	
3,38,218.00		15	वाहन किराया	1,19,682.00	
21,71,323.78		16	विविध व्यय	22,20,843.16	
50,253.58		17	फर्निचर रिपेयर्स	44,922.46	
1,06,363.24		18	मशीन रिपेयर्स	2,05,717.58	
0.00		19	भवन रिपेयर्स	0.00	
4,00,434.38		20	कमीशन (अन्य बैंको को दिया)	3,52,738.72	
4,18,747.12		21	कम्प्यूटर व्यय	2,59,764.38	
0.00		22	प्रशिक्षण व्यय	0.00	
27,000.00		23	अंशदान क्लिरिंग अपेक्स बैकर्स संघ	27,689.72	
91,911.08		24	जनरेटर व्यय	46,052.00	
5,43,700.00		25	मशीनो का वार्षिक मेन्टेटेंस शुल्क	3,89,690.00	
29,70,399.77		26	अपलेखन (डेड स्टॉक)	0.00	
14,93,482.26		27	लेन नेट वर्किंग एण्ड इलेक्ट्रिक व्यय नवीन शाखा	1,98,287.83	
1,23,05,108.00		28	सी. बी. एस. चार्ज	1,21,03,018.00	
2,10,776.70		29	एस.एम.एस. अलर्ट व्यय	3,53,385.00	
18,29,450.00		30	आडिट फीस एवं अंकेक्षण शुल्क	19,10,925.00	
39,47,706.00		31	सी. बी. एस. मल्टीप्लाई चार्जेस	21,31,390.00	
5,43,885.00		32	कम्प्यूटर हार्डवेअर ए एम सी	1,48,536.25	
1,89,17,692.00		33	सिक्युरिटी गार्ड वेतन	2,06,43,098.00	
8,36,250.00		34	विनियोजन शासन सिक्यू. प्रीमियम एमोराईजेशन	8,36,250.00	
44,28,134.00		35	सर्विस टेक्स	35,26,185.00	
48,82,062.93		36	आई जी एस टी	37,46,729.73	
35,16,653.79		37	सी जी एस टी	10,83,906.71	
35,12,839.21		38	एस जी एस टी	10,83,911.70	
28,532.00		39	सी जी एस टी आर सी एम	9,76,173.00	
28,532.00		40	एस जी एस टी आर सी एम	9,76,173.00	
7,02,279.28		41	ऋण समाधान योजना व्यय	0.00	
1,52,260.00		42	वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम व्यय	0.00	
0.00		43	उघान खर्च	50,600.00	
0.00		44	वार्षिक साधारण सभा व्यय	2,70,732.90	
0.00		45	एटीएम कार्ड व्यय	6,40,000.00	
4,24,528.80		46	अकृषि ऋण रिकवरी व्यय	0.00	
99,422.80		47	शाखा सिफटींग व्यय	1,45,951.00	
0.00		48	शासन सिक्यूरिटी पर अवक्षयण	0.00	
5,09,100.00		49	कर्मचारी कल्याण निधि अंशदान	4,93,600.00	
2,13,052.00		50	कर्मचारी कल्याण निधि पर ब्याज	2,41,694.00	
2,13,85,905.00		51	उपादान (ग्रेच्युटी) बीमा	2,73,10,660.00	
8,24,841.50		52	अमानत गारंटी बीमा अंशदान	9,22,727.00	
0.00		53	सलाहकार फीस	4,37,990.00	
0.00		54	सरसाईफीस	1,00,000.00	
0.00		55	टीडीएस डिडेक्ट	24,86,739.53	
0.00		56	एटीएम चार्जेस	3,82,147.69	
12,42,34,557.83			**योग**	**14,60,36,918.18**	
			अवयक्षण		
4,72,082.00		57	वाहन पर अवयक्षण	4,01,270.00	
46,42,064.00		58	डेड स्टॉक पर अवयक्षण	47,64,004.00	
33,76,847.00		59	भूमि भवन पर अवयक्षण	31,64,108.00	
15,75,907.94		60	पेरेशिएबल डेड स्टॉक पर अवयक्षण	21,01,708.37	
7,97,686.00		61	कम्प्यूटर सम्पत्ति पर अवयक्षण	11,48,808.00	
19,83,776.00		62	कम्प्यूटर साफ्टवेयर सम्पत्ति	11,86,961.00	
6,534.00		63	कम्प्यूटर लेब सम्पति	3,920.00	
1,28,54,896.94			**योग**	**1,27,70,779.37**	
13,70,89,454.77			**योग**	**15,88,07,697.55**	**15,88,07,697.55**
	4		**अंशदान**		
19,54,00,000.00		1	एन पी ए ऋण निधि प्रावधान	0.00	
8,50,00,000.00		2	आयकर पेयबल	5,54,25,840.00	
28,04,00,000.00			**योग**	**5,54,25,840.00**	**5,54,25,840.00**
2,53,71,74,213.07			**महायोग**	**2,54,75,91,188.81**	**2,54,75,91,188.81**
16,05,14,257.86			**वर्ष का शुद्ध लाभ**	**7,63,46,863.76**	**7,63,46,863.76**
2,69,76,88,470.93			**महायोग**	**2,62,39,38,052.57**	**2,62,39,38,052.57**

LAXMI TRIPTI & ASSOCIATES

REGISTERED OFFICE:
2/9, SHIREEN COMPLEX, BDA COLONY
KOH-E-FIZA, BHOPAL – 462001
Mobile.: 9425834567.
Email id: laxmitripti@gmail.com

Firm Reg. NO. – 009189C
CAG No. ER0782

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्य,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादीत, खरगोन (म.प्र.)

मर्यादित राय (Qualified Opinion)

हमारी राय में और हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, मर्यादित राय के आधार में वर्णित मामलो के संभावित प्रभावों को छोड़कर वितीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष राय को दर्शाते हैं -

(अ) तुलना पत्र के मामले में, बैंक के कार्य की 31-03-2020 की स्थिति और

(ब) लाभ और हानि खाते के विवरण के मामले में, उस तारीख पर समाप्त होने वाले लाभ के लिए

मर्यादित राय का आधार (Basis for Qualified Opinion):-

1. लेखांकन नीतियों की अभिव्यक्ति AS-1 की अपेक्षा अनुसार वितीय पत्रकों को तैयार करने एवम् उनके प्रस्तुत करने में अपनाई गयी सभी महत्वात्पूर्ण लेखांकन नीतियों को सामान्यतः एक ही स्थान पर प्रस्तुत करना चाहिये एवम् बोर्ड के द्वारा पारित करी जानी चाहिए|
2. नगदी प्रवाह विवरण (AS-3) की अपेक्षा अनुसार बैंक द्वारा नगद प्रवाह विवरण नहीं बनाया गया|
3. राजस्व मान्यता (AS-9) - आय एवम् व्यय का लेखांकन अर्जन आधार पर किया गया है जो निम्न को छोड़ कर है - कमीशन एवम् लाकर किराया प्राप्ति के आधार पर दर्शाया गया है जिसके सम्बन्ध में बैंक द्वारा आय मान्यता लेखांकन मानदंड का पालन नहीं किया गया है|
4. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक 22 "एकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ओन इनकम " की आवश्यकता के अनुसार डैफर्ड टैक्स के लिए प्रावधान नहीं किया गया है |
5. बैंक के कर्मचारीयों को देय अर्जित अवकाश के नगदीकरण का लेखांकन नगद आधार पर किया जा रहा है और लेखांकन मानक 15 - 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार लेखों में प्रावधान नहीं किया जा रहा है|
6. बैंक अभी तक पूर्ण रूप से CBS पर नहीं आई है, NPA Marking और NPA Classification manually तैयार कर सिस्टम में मार्क किया जाता है| कुछ शाखाओ में एन पी ए के ब्याज को अप्राप्त ब्याज खाते के स्थान पर आय खाते में लिया गया है जिसकी राशि की गणना वर्तमान में नही करी जा सकती जिसके कारण शाखाओ का लाभ और ऋण उस सीमा तक बढ़े हुए है|
7. शासकीय प्रतिभूतियां
   a. बैंक द्वारा शासकीय प्रतिभूतियों को क्रय करते समय भुगतान किये गए प्रीमियम को समय के अनुसार अपलेखित करने के स्थान पर 10% प्रति वर्ष अपलेखन किया जा रहा है|
   b. बैंक द्वारा शासकीय प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय की गणना 365/366 दिनों के अनुसार की जा रही है|
8. बैंक की गणना अनुसार वर्षांत मे बैंक व समितियों (PACS) के बीच ऋणान्तर का कुल योग 5939.89 लाख है परन्तु इसके विरुद्ध प्रावधान रू 3010.73 लाख किया गया है| ऋणान्तर का समायोजन किया जाना चाहिए|
9. निधियों एवम् कोष का उपयोग -
   a. बैंक द्वारा अंकेक्षण वर्ष में कर्मचारी प्रशिक्षण पर राशी रु 2,55,530 का व्यय कर्मचारी प्रशिक्षण कोष का उपयोग कर किया गया है|
   b. बैंक द्वारा अंकेक्षण वर्ष में वार्षिक साधारण सभा पर राशी रु 2,22,087 का व्यय वार्षिक साधारण सभा कोष का उपयोग कर किया गया है|
10. बैंक के विरुद्ध 22 कानुनी दावे चल रहे है जिनमे कुल राशी रु.686.36 लाख है, जिनको लेखांकन मानक 29 के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया नहीं गया है|
11. बैंक द्वारा अंकेक्षण वर्ष में राशी रु 6.4 लाख में 20,000 गेर-व्यक्तिगत (non-personalised) ATM कार्ड क्रय किये गए है| इनमे से वर्षांत तक बैंक द्वारा जितने ATM कार्ड जारी किये गए है उतने कार्ड का ही खर्चा, व्यय के रूप दर्शाया जाना चाहिए था किन्तु बैंक द्वारा पूरी राशी रु 6.4 लाख लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाइ गयी है|
12. वे मियादी अमानत जो परिपक्वव हो चुकी है किन्तु जिनका भुगतान नहीं हुआ है उन पर बचत खाते की ब्याज दर के अनुसार ब्याज का प्रावधान किया जाना चाहिए जो की बैंक द्वारा नहीं किया गया है|
13. वर्षांत में देय लाभांश की राशी रु 2,96,231 शेष है जिसमे पुरानी प्रविष्टियाँ लंबित है| हमारी राय में उक्त राशी का निष्पादन किया जाना चाहिए|

14. **वस्तु एवं सेवा कर (GST)**

a. बैंक के द्वारा खरीदी गयी वस्तुओ एवं ली गयी सेवाओं पर जो जीएसटी का भुगतान किया गया है उसे लाभ हानि खाते मे नामे किया गया है चुकी जीएसटी के नियम अनुसार बैंक द्वारा भुगतान किये गए जीएसटी में से सिर्फ 50% इनपुट क्रेडिट प्राप्त होना है अतः 50% राशि को ही लाभ हानि खाते मे डाला जाना चाहिए |

b. बैंक द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दिए गए जीएसटी को बैलेंस शीट में संपति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि इस तरह के GST का इनपुट अगले महीने उपलब्ध होता है लेकिन बैंक ने ऐसे GST के भुगतान को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्ज किया है।

c. बैंक द्वारा योग्य एवम अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का विभाजन नहीं किया जा रहा| वस्तु एवं सेवा कर के नियम अनुसार कुछ वस्तुओं एवम कुछ सेवाओ का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है|

d. जीएसटीआर 1 मे सर्विस एकाउंटिंग कोड के हिसाब से वस्तु एवं सेवा कर में दाखिल मासिक विवरणियो में दर्शाया नहीं गया है |

e. बैंक द्वारा दाखिल मासिक विवरणि में ली गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट का GSTR-2A से संयोजन किया जाना चाहिए|

f. बैंक द्वारा अंकेक्षण वर्ष के लिए दाखिल मासिक विवरणियों में जो बैंक का जो व्यापार दर्शाया गया है का लेखों में दर्शाया गए व्यापार से मेल नहीं करता है|

15. Income Tax/TDS

a. आयकर विभाग के 26 AS के अनुसार Rs. 2,89,561.30 का TDS बैंक के A/C मे काटा गया है| जिसको बैंक द्वारा TDS Receivable खाते में प्रविष्टि नही की गयी है|

b. TDS के Traces Portal पर बैंक के विरुद्ध कुल Rs.1,50,251.52 की मांग आ रही है | इस हेतु हिसाबी पुस्तकों मे कोई प्रावधान नहीं किया गया है|

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व (Management's Responsibility for the Financial Statements):-

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1960 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति की सही और निष्पक्ष राय देता है। वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानकों सहित एवं सामान्य लेखा परीक्षा मानदंडों के अंतर्गत बनाई गयी है । इस ज़िम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की रचना और प्रस्तुतिकरण से प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की रचना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो वित्तीय विवरण पर सत्य और निष्पक्ष राय को और उनके वस्तुगत त्रुटियों से मुक्तता को दर्शाते है।

लेखा परीक्षक का दायित्व:- (Auditor's Responsibility)

हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय आंकड़ों पर राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी किए गए अंकेक्षण के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमें यह आवश्यक है कि हम नैतिक नियमों का पालन करते हुए, लेखा परीक्षण की योजना और निष्पादन कर, उचित आश्वासन प्राप्त करते हैं कि वित्तीय विवरण उल्लेखनीय/वस्तुगत त्रुटियों से मुक्त हैं या नहीं।

अंकेक्षण में वित्तीय वक्तव्यों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरण की त्रुटियों के जोखिम के आकलन शामिल हैं, जो चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम का मूल्यांकन करने में, अंकेक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों का ध्यान रखता है जो वित्तीय विवरणों की रचना और प्रस्तुति में प्रासंगिक है; जिससे वह उन अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना कर पाए जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त है न कि इकाई के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर कोई राय व्यक्त करने के उद्देश्य से। एक लेखापरीक्षा में लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन के अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का कार्य भी शामिल है। ।

हम मानते हैं कि हमारा अंकेक्षण साक्ष्य आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और प्रासंगिक है। हमारा विश्वास है की हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये है, वह हमारी लेखा परीक्षा राय प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त है ।

अन्य मामले (Other Matters) :-

उपरोक्त "मर्यादित राय के आधार" में वर्णित मामलो के अलावा हम उपयोगकर्ताओ का ध्यान वित्तीय विवरण के अन्य मामलो पर आकर्षित करते हैं जो कि **अनुलग्नक - अ** में उल्लेखित हैं|

इन मामलो के सम्बन्ध में हमारी राय मर्यादित नहीं हैं|

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट (Report on Other Legal and Regulatory Requirements) :-

1. हम सर्कुलर संख्या 106 DOS 192008 दिनांक 30-06-2008 विस्तृत पत्र संख्या NBDOSPOL/1309 / JI / 2008-09 में दिए गए आदेश के अनुसार बैंक को **श्रेणी "ए"** में वर्गीकृत करते हैं।

2. उपर्युक्त दर्शायी गई लेखापरीक्षा की सीमा, मर्यादित राय (Qualified Opinion) और हमारी लेखो पर कि गयी अन्य टिप्पणियों (Other Matters) एवं अनुलग्न - "ब" Memorandum of changes (MOC) जो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट का ही भाग है के आधार पर हम सूचित करते हैं कि -

(अ) हमने सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली है जो कि लेखापरीक्षा के परीक्षण के लिए आवश्यक है।

(ब) हमारे द्वारा किये गए परीक्षण के अनुसार, कानून द्वारा जरूरी खाते की उचित पुस्तकों को बैंक बना रही है।

(स) हम अपनी राय तथा सर्वोतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि, शाखा में कोई अनौपचारिक और अनियमिता नहीं है | यदि कोई भी अनौपचारिक और अनियमितता पायी गयी है, तो वह व्यक्तिगत शाखा की परिक्षण सूची में शामिल है।

3. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि, परीक्षण के दौरान हमने 69 शाखाओं का अंकेक्षण किया है। चूंकि बैंक ने प्रमुख बैंकिंग प्रणाली के लिए मुख्य रूप से 'कोर बैंकिंग सिस्टम' का उपयोग किया है, इसलिए शाखाओ द्वारा वितीय रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा मुख्य कार्यालय और केंद्रीय प्रक्रिया इकाई पर केन्द्रित की गयी है ताकि हमारे लिए उपलब्ध कराए गए परीक्षण के प्रयोजन के लिए जरूरी दस्तावेजों और जानकारी की आवश्यकता की पूर्ति हो।

वास्ते - लक्ष्मी तृप्ति एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन. - 009189C

दिनांक - 08-08-2020
स्थान - खरगोन

सुनील गोयल
(पार्टनर)
मेम्बरशिप नंबर - 500294

हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर को विकसित करने दान–दाताओं का ले सकेंगे सहयोग

आयुष राज्य मंत्री श्री कावरे ने दिये आवश्यक दिशा–निर्देश

भोपाल। आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने कहा है कि होम्योपैथी और यूनानी विधाओं के जरिये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने विषय पर जल्द ही वेबिनार आयोजित किया जाये। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद की तरह होम्योपैथी और यूनानी पद्धति को अपनाने एवं उसे बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किये जायेंगे। श्री कावरे सोमवार को मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी आयुष अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री कावरे ने कहा कि आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर– एच.डब्ल्यू.सी.) विकसित करने के लिये गाइड–लाइन तैयार की गई है। गाइड–लाइन में दिये दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित केन्द्र विकसित किया जाये। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के लोगों को औषधालय के विकास के लिये प्रेरित किया जाये, स्थानीय लोग स्वैच्छा से अपने या अपने परिवार के सदस्य या उनके पूर्वजों के नाम पर बाउण्ड्री–वॉल आदि के निर्माण करा सकते हैं। श्री कावरे ने उपयुक्त स्थान चुनकर योग के लिये व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि औषधालय क्षेत्र के लिये स्थानीय योग प्रशिक्षक की जानकारी सभी जिला अधिकारी संचालनालय को भेजें। हर्बल गार्डन की स्थापना के लिये पौधे की नाम–पट्टिका सहित स्थानीय भाषा में प्रदर्शन किया जाये। औषधीय पौधे घर पर भी लगाकर लोगों और मेहमानों को उसकी विशेषताओं से अवगत करवायें। उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा–कक्ष में भी इन औषधीय पौधों की जानकारी दीवार–पेंटिंग आदि से दी जाये, जिससे ग्रामीण औषधीय पौधों की जानकारी के साथ उसकी उपयोगिता भी जान सकें। राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी में आयुष विभाग ने ईमानदारी से काम कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लोग आयुर्वेद के लाभ से परिचित होकर उसे अपनाने लगे हैं। श्री कावरे ने आयुष चिकित्सकों को पंचकर्म करने के लिये प्रेरित किया।

पुस्तिका का विमोचन

राज्य मंत्री श्री कावरे ने शुरूआत में आयुष विभाग द्वारा बनाई गई स्वास्थ्य संवर्धन हेतु आयुष निर्देश की मार्गदर्शी पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर सचिव डॉ. एम.के. अग्रवाल उपस्थित थे। यह पुस्तिका आशा कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई जायेगी। इस मार्गदर्शी पुस्तिका में आयुष के जरिये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रोगों को काबू करने में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं के कारगर उपाय शामिल हैं।राज्य मंत्री श्री कावरे मंत्रालय में अपने कक्ष से बुरहानपुर आयुर्वेद कॉलेज द्वारा आयोजित वेबिनार में शामिल हुए। कोविड–19 का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव विषयक वेबिनार में श्री कावरे ने कहा कि कोरोना के कारण व्यक्ति की दिनचर्या तनावपूर्ण रही है। वेबिनार में तनावमुक्त होने के संबंध में उपायों पर चर्चा की गई। चर्चा के निष्कर्षों का बारीकी से अध्ययन किया जायेगा और उपायों को आत्मसात किया जायेगा।

कोरोना से बचाव और जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए पुनरीक्षित गाइडलाइन का क्रियान्वयन आवश्यक : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए कोविड से बचाव के लिए आवश्यक उचित व्यवहार का पालन और उसका प्रचार–प्रसार करना आवश्यक है। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। लॉकडाउन खुलने और जीवन सामान्य होने के साथ–साथ कोविड का प्रसार संभावित है। इससे बचाव के लिए पॉजीटिव और संभावित रोगी केन्द्रित रणनीति पर कार्य करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कोरोना पर पुनरीक्षित रणनीति पर विचार–विमर्श के लिए मंत्रालय में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से बचाव और जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए पुनरीक्षित गाइड लाइन का क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का आवश्यक रूप से पालन करना होगा।

हर जिले में स्थापित होंगे कमांड एवं कंट्रोल सेंटर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब पॉजीटिव रोगी के द्वारा उसके उपचार में सहयोग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में रोगी और उसके परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पॉजीटिव रोगी को पूरी जानकारी लिखित में उपलब्ध कराने के लिए ब्राउशर प्रदान किया जाएगा। बिना लक्षण वाले अथवा मंद लक्षण वाले पॉजीटिव रोगियों के लिए होम आइसोलेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन रोगियों की बेहतर मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तर पर कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए सतर्क रहने के उद्देश्य से पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर के उपयोग और सार्थक लाइट एप डाउनलोड करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वीडियो कॉल द्वारा होगी मॉनीटरिंग

होम आइसोलेशन मरीजों से सेंटर में तैनात डॉक्टर दिन में दो बार आवश्यक रूप से वीडियो कॉल कर स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। इन केन्द्रों पर एम्बुलेंस अनिवार्यतः रहेगी। किसी भी रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा।

फीवर क्लीनिक पर लिए जाएंगे सेम्पल

संभावित व्यक्तियों के सेम्पल संग्रहण के लिए फीवर क्लीनिक को प्राथमिक स्त्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। अब घर–घर जाकर सेम्पल संग्रहण की प्रक्रिया बंद होगी। फीवर क्लीनिक पर जाँच तथा सलाह की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मनेगा दुर्गा उत्सव

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन–4 के प्रावधान अनुसार दुर्गा उत्सव आयोजन में अधिकतम एक सौ व्यक्तियों की उपस्थिति की स्वीकृति होगी, परंतु कोरोना से बचाव की सभी सावधानियों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्यतः सुनिश्चित करना होगा। दुर्गा विसर्जन के संबंध में समयानुसार गाइड लाइन जारी की जाएगी।

निजी चिकित्सालय निर्धारित दर पर करेंगे इलाज

कोविड–19 के उपचार के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी चिकित्सालयों के द्वारा कोविड–19 मरीजों का इलाज 29 फरवरी 2020 अथवा उसके पूर्व अधिसूचित रेट लिस्ट अनुसार ही किया जाएगा। किसी भी स्थिति में अस्पताल इस दर में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकेंगे।

शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में होगा क्षमता संवर्धन

कोविड–19 की आगामी महीनों में संभावित स्थिति को देखते हुए शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में उपयुक्त बेड, ऑक्सीजन आपूर्ति, उपकरण तथा प्रबंधन में निरंतर क्षमता संवर्धन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले का केपेसिटी एडीशन प्लान बनाकर जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध कराया गया है। स्वास्थ्य संस्थान कोविड रोगियों के चिकित्सकीय प्रबंधन से संबंधित अपने अनुभव तथा प्रशिक्षण संबंधी जानकारी परस्पर साझा करेंगे। रोगियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे।

कोमोर्बिड रोगियों और 60 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों पर विशेष ध्यान

कोविड–19 के संभावित या पॉजीटिव ऐसे रोगी जो अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं या जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें विशेष चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत क्वारेंटाइन पर रहेगा जोर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए संस्थागत क्वारेंटाइन और सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी।

वीडियो कान्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने जानकारी दी कि होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल जारी किया गया है। जिसका पालन सुनिश्चित कराना समस्त कलेक्टर्स की जिम्मेदारी होगी। श्री सुलेमान ने रेपिड एंटीजन टेस्टिंग को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग तथा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी वी.सी. से सम्मिलित हुए। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री संजय शुक्ला, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हजारों सम्बन्ध रखना कोई बड़ा चमत्कार नहीं है. चमत्कार यह है की आप एक ऐसा सम्बन्ध बनाये जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हो जाये।

– दीदी शिवानी

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लें लाभ

उमरिया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के हित में संचालित बेहतरीन योजना है। इसके माध्यम से सरकार किसानों की मदद करती है, जिससे किसानों को फसल बोनी व अन्य कृषि कार्य हेतु राशि की व्यवस्था हेतु भारी ब्याज नहीं देना पड़े और ना ही अपनी भूमि किसी साहूकार के पास गिरवी रखना पड़े। इस योजना को वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि कार्य की आवश्यकता जैसे, बीज, उर्वरक की खरीदी, भूमि की जुताई, फसल बुवाई, सिंचाई, कटाई, फसलों को वेयर हाउस में रखने का खर्चा, कृषि यंत्र क्रय आदि विभिन्न कार्य हेतु लघु अवधि धन राशि की व्यवस्था करना है। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु किसान भाई अपनी बैंक खाता नजदीकी शाखा में अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, भू–अभिलेख, परिचय पत्र, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आदि ले जायें और किसान क्रेडिट कार्ड की राशि/लिमिट का निर्धारण आपके द्वारा बोई गई फसल के ऋणमान के द्वारा निर्धारण किया जायेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सहायता से किसान भाई फसल, पशुधन, कृषि यंत्रों हेतु ऋण ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों के लिये वैद्य होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ अवश्य लें।

कृषि अधोसंरचना निधि के तहत केन्द्र सरकार की वित्त पोषित योजना

रतलाम। केंद्र सरकार की कृषि अधोसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण योजना में चिन्हित इकाइयों को वित्त पोषण एवं अनुदान लाभ मिलेगा। सभी प्रकार के ऋण अधिकतम दो करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज में 3 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जाएगा।

योजना अवधि वर्ष 2020–21 से 2029–30। योजना अन्तर्गत योग्य संस्थाओं में प्राथमिक सहकारी साख संस्थाएं, सहकारी विपण संस्थाएं, कृषक उत्पादक संघ, स्वसहायता समूह, कृषक, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाएं, कृषि उद्यमी, नवीन उद्यमी एवं केन्द्रध्राज्य की संस्थाएं, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की स्थानीय प्रायोजक संस्थाएं आदि।

योग्य इकाई के अन्तर्गत फसलोपरांत प्रबंधन यूनिट्स –सप्लाई चेन सर्विस ई–मार्केटिंग प्लेटफार्म के साथ में वेयर हाउस, सिलोस, पैक हाउस, असाईंग यूनिट्स, शार्टिंग एवं ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेनस्, लाजिस्तिक फेसिलिटिस, प्राईमरी प्रोसेसिंग सेन्टर, रायपिंग चेम्बर। सामुदायिक कृषि को बढाने हेतु जैविक इनपुट उत्पाद, बायो स्टीमुलेंट प्रोडक्शन यूनिट, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रेसीजन एग्रीकल्चर, निर्यातक क्लस्टर/फसल क्लस्टर को सप्लाई चेन अधोसंरचना से जोडने हेत परियोजनाओं को चिन्हांकित करना, केन्द्र राज्य शासन या शासकीय संस्थाओं के अधीन पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के साथ सामुदायिक कृषि को बढावा देने या फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाओं से संबंधित हो।

योजना का उद्देश्य कृषि अधोसंरचना निधि कृषि विकास को बढावा देगी, जिसके अन्तर्गत फसलोपरांत कृषि उत्पादों का मूल संवर्द्धन करते हुए किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना है। कृषकों के लिए विपणन अधोसंरचनाएं निर्मित करना, फसलोपरांत खाद्य पदार्थों की क्षति से हुई हानि को कम करना, सामुदायिक कृषि को बढावा देना जिससे उत्पादकता एवं कृषि की आय को बढाना।

बैंक अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग और सक्रिय रहें : मुख्यमंत्री श्री चौहान

जनोन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका की समीक्षा सम्पन्न

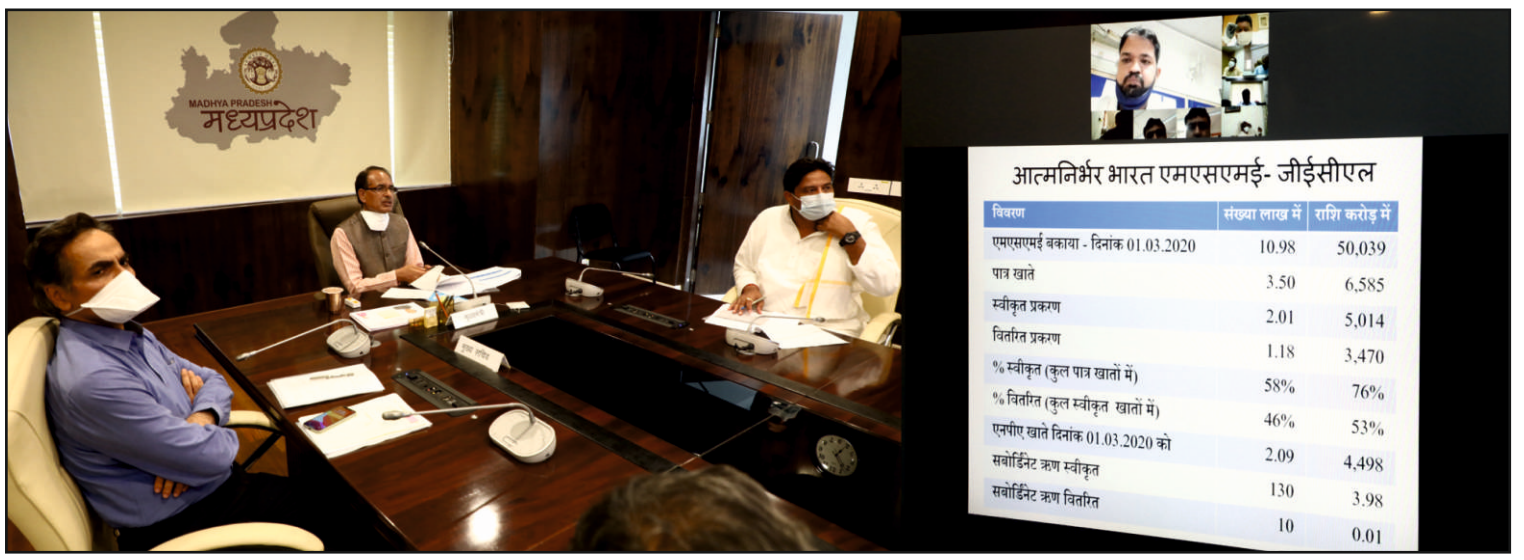

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैंक अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग और सक्रिय रहें। कोरोना काल से उपजी परिस्थितियों के कारण पथ विक्रेता से लेकर उद्यमियों तक के जीवन को पटरी पर लाना हम सब का दायित्व है। इसमें बैंक अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही से निभाएं। स्ट्रीट वेंडर, किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, स्व–सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिये संचालित योजनाओं में बैंकों का रूख हितग्राहियों के लिये सहयोगात्मक हो। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैंकों के राज्य प्रमुखों से चर्चा कर रहे थे। मंत्रालय में आयोजित इस कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन बैंकों का रवैया सहयोगात्मक नहीं होगा, उन्हें राज्य शासन की ओर से देय सहयोग पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उनके परफारमेंस के संबंध में केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा संबंधित बैंक के चेयरमैन को अवगत कराया जाएगा।

वीडियो कान्फ्रेंस में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना (शहरी), मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, पी.एम. किसान योजना के अंतर्गत छूटे हुए किसानों को, डेयरी कृषकों, अन्य दुग्ध उत्पादक कृषकों और मछुआरों को क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा स्व–सहायता समूहों के वित्त पोषण की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे इन योजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में प्रतिमाह भाग लेंगे।

वीडियो कान्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना (शहरी) में पोर्टल पर 8 लाख 78 हजार से अधिक पथ विक्रेता पंजीकृत हैं। देश में कुल स्वीकृत प्रकरणों में से 47 प्रतिशत प्रकरण मध्यप्रदेश के हैं और प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत 1 लाख 35 हजार प्रकरण बैंकों में प्रेषित किए गए हैं। किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 3 लाख 10 हजार किसानों के आवेदन बैंकों को प्राप्त हुए है। इसी प्रकार विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा बैंकों में 1 लाख 76 हजार सदस्यों के आवेदन के.सी.सी. के लिए प्रस्तुत किए जा चुके हैं। स्व–सहायता समूहों को 1300 करोड़ रूपए ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से अभी तक 1 हजार 70 करोड़ के प्रकरण बैंक शाखाओं को प्रेषित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंकों को दिए गए लक्ष्य का कम से कम 10 प्रतिशत अगले तीन दिन में प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। निजी बैंकों को इन योजनाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा सहकारी बैंकों को बेहतर परफारमेंस के लिए बधाई दी। मंत्रालय में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में किसान कल्याण तथा कृषि विकास राज्यमंत्री श्री गिरिराज दंडोतिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के. के. सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री एस.डी. माहूरकर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैंकिंग संविदा कम्प्यूटर आपरेटरों की सेवाएं 6 माह बढ़ाई जायेगी

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया से मिला सहकारी बैंक कर्मचारी महासंघ

भोपाल। प्रदेश की जिला सहकारी बैंकों में संविदा आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों की सेवाएं निरंतर रखते हुए 6 माह बढ़ाई जायेंगी। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने सहकारी बैंक संविदा लिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए उक्त बात कही। उन्होंने आश्वस्त किया कि कोरोना संकट को दृष्टिगत रखते हुए संविदा आधार पर कार्यरत जिन कम्प्यूटर आपरेटरों की सेवाएं 31 अगस्त, 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें आगामी 6 माह तक के लिये निरंतर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आयुक्त सहकारिता को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे। सहकारी बैंक संविदा कम्प्यूटर आपरेटर/लिपिक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि बुधवार को सहकारिता एवं लोक प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया से कम्प्यूटर आपरेटरों की सेवाओं को निरंतर किये जाने के संबंध में भोपाल में मिले। भेंट के दौरान कर्मचारी महासंघ ने बताया कि प्रदेशभर में 630 संविदा कम्प्यूटर आपरेटर कार्यरत हैं, जिनकी सेवाएं 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो गई हैं। उन्होंने इन सभी की सेवाएं आगे निरंतर जारी रखे जाने का अनुरोध किया। सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने प्रतिनिधि मंडल की अन्य माँगों का भी परीक्षण कराकर उचित निर्णय लिये जाने की बात कही।

प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 3 से 1 प्रतिशत

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी–बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में जानकारी दी कि कोविड–19 की वजह से व्यापक पैमाने पर आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। रियल स्टेट सेक्टर पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप प्रापर्टी खरीदने, बेचने के इच्छुक नागरिक भी विपरीत स्थितियों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रापर्टी की खरीदी–बिक्री पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस छूट से रियल स्टेट का कारोबार तेजी से बढ़ेगा। कोरोना जैसी चुनौती के बीच भी प्रदेश को विकास के पथ पर गतिमान रखने के लिये मैं सतत प्रयत्नशील हूँ।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर व्यक्ति का, परिवार का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जहां वो अपने परिवार के साथ सुख से रह सके। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियाँ लॉकडाउन के वजह से लगभग समाप्त हो गई थीं। रियल स्टेट व्यवसाय पर भी इससे विपरीत प्रभाव पड़ा था। लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो जाने के कारण संपत्तियों का क्रय–विक्रय भी प्रभावित हुआ है। अब यह आवश्यक हो गया है कि आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ें और रियल स्टेट क्षेत्र में भी कैसे बूम आए, इसकी चिंता करनी होगी। इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी ब्रिकी पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अभी यह छूट 31 दिसम्बर 2020 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से लोग अपना मकान आसानी खरीद सकेंगे, कारोबार में तेजी आएगी और रियल स्टेट में कामकाज को गति मिलेगी। इसी सिलसिले में अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।